तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी/टीए/12780/2004/जयपुर गणेश बनाम कालू	
04.02.2022	<u>एकल–पीठ</u> मंजू राजपाल, सदस्य उपस्थितः– (1) श्री श्यामबाबू पारीक अधिवक्ता प्रार्थीगण (2) श्री जी0 बाढदार अधिवक्ता अप्रार्थीगण <u>निर्णय</u> यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2004 के विरुद्ध मण्डल की एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार वादी/गैरनिगरानीकार संख्या 1 लगायत 7/8 ने एक वाद संख्या 101/93 बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रार्थीयान व अन्य तरतीबी विपक्षीयान के विरुद्ध न्यायालय सहायक जिलाधीश, शाहपुरा के समक्ष पेश किया जिसमें उन्होंने अपना स्वामित्व 1/3 – 1/3 भाग पर होना कथन किया। जबकि विवादित आराजी में मिन प्रार्थीयान का 1/6 – 1/6 भाग रहा है। इसके अलावा प्रार्थीयान की अन्य भूमियां उनके स्वयं की क्रयशुदा व आवंटन–शुदा रही है। मिन प्रार्थीयान को विपक्षीयान 1 लगायत 7/8 ने पक्षकार नहीं बनाया था जबकि मिन प्रार्थीयान का कब्जा काश्त उनके भाग के अनुसार चला आ रहा है एवं वह उक्त भूमि के अलावा जो क्रयशुदा व अलोटेड भूमि है, उनमें उनकी /प्रार्थीयान की ही हिस्सेदारी थी। नितान्त विपक्षीयान संख्या 1 से 7/8 ने प्रार्थीयान को पक्षकार बना लिया एवं तरमीम शुदा वाद पेश किया जिसमें प्रार्थीयान ने जबाब दावा एवं अपना काउन्टर–क्लेम भी पेश किया एवं स्पष्ट किया कि जिस प्रकार से वादीयान का 1/3 – 1/3 भाग निहित था, वह गलत है। वादियान व तरतीबी वादियान का 1/6 – 1/6 भाग रहा है। प्रार्थीयान का उसी कड़ी में विवादित भूमि पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स निगरानी/टीए/12780/2004/जयपुर गणेश बनाम कालू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का 1/6 – 1/6 भाग व प्रतिवादी संख्या 11 से 14 का 1/6 भाग रहा है और इसी प्रकार प्रार्थीयान ने अपनी खातेदारी काश्तकारी की घोषणा चाही व वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का उसी कड़ी में 1/6 – 1/6 भाग घोषित करने का अधिकारी होना प्रतिपादित किया। प्रार्थीयान ने अपना इसी आशय का काउन्टर क्लेम भी पेश किया। उक्त काउन्टर क्लेम का भी विपक्षीयान संख्या 1 से 7/8 कालू आदि ने जबाब पेश किया। इसके बाद तनकीयात कायम होकर शहादत वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ली गई। 3– वाद के विचाराधीन रहते वादी ने दिनांक 06–9–2004 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी कुछ दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने व उन्हें प्रदर्श किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। इसका जबाब पेश करते हुए विपक्षीगण ने उक्त दस्तावेज को अनावश्यक बताते हुए रिकार्ड पर नहीं लिए जाने हेतु निवेदन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25–9–2004 को उक्त प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को ग्रहण किये जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। जिसके विरुद्ध हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 4– अधिवक्तागण उभयपक्ष की ओर से निगरानी पर बहस सुनी गयी। 5– दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि यदि कोई दस्तावेज वाद से सम्बन्धित हैं तो उन्हें वाद के साथ ही प्रस्तुत करना चाहिए। अधिक से अधिक तनकीयात कायम होने से पूर्व ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकते हैं। तनकी कायम होने के बाद किसी भी पक्षकार की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। उनका तर्क है कि प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से वाद से सम्बन्धित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य लिये जा चुके हैं और तनकी भी दिनांक 22–02–2003 कायम हो चुकी है। अब अंतिम बहस के स्तर पर उक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने का मतलब पुनः दोनों पक्षों की ओर से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स निगरानी/टीए/12780/2004/जयपुर गणेश बनाम कालू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

साक्ष्य लेकर पुनः तनकीयात कायम की जावेगी जिससे प्रकरण के निस्तारण में अधिक देरी होगी । पहले ही उक्त प्रकरण काफी पुराना है, जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की, वह प्रकरण में विवादित भूमि से संबद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने आदेश 13 व उसके नियमों के प्रावधानों व उन पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल निर्णय देने में विधिक त्रुटि की है। निगरानीकार द्वारा प्रकरण में निगरानी की पेशकश करने के आधार पर खण्डन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया। अन्त में निगरानी को स्वीकार कर निगरानीधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

6— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने तर्क दिया कि वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज, लोक—दस्तावेज है, जिन्हें रिकार्ड पर लिये जाने से विवाद के सही निर्णय तक पहुँचने में मदद मिलेगी। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को ग्रहण किये जाने का जो आदेश दिया है, कानून सम्मत है। बहस के स्तर पर प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन का औचित्य होने के आधार पर ही दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय की सहमति से दस्तावेजात प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान होने के आधार पर ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण वास्ते साक्ष्य खण्डन दिनांक 01—10—2004 को नियत किया गया। अतः यह कहना तथ्यों के विपरीत है कि खण्डन का अवसर नहीं दिया गया। अन्त में निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।

7— प्रकरण में दिनांक 01—10—2004 को निगरानी में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से ग्रहण करने के आदेश उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

8— अधीनस्थ न्यायालय में संस्थित वाद संख्या 101/1993 का अवलोकन उभयपक्ष की बहस के मद्देनज़र किया गया। उक्त वाद दिनांक 18—5—1993 को संस्थित हुआ। प्रकरण में दिनांक 28—6—2004 को आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स निगरानी/टीए/12780/2004/जयपुर गणेश बनाम कालू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	13 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसका निस्तारण दिनांक 12–7–2004 को इस निर्देश के साथ किया गया कि पत्रावली में वांछित प्रतिलिपि नियमानुसार प्राप्त कर प्रस्तुत की जा सकती है, उसके लिए पूरी पत्रावली तलब करने का औचित्य नहीं है। अतः प्रतिवादीगण को अंतिम अवसर दिया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु दिनांक 19–7–2004 को नियत किया गया। प्रकरण में दिनांक 31–7–2004 को तनकीयात 50/– रूपये के हर्जे पर दुरूस्त कर प्रतिवादी की साक्ष्य दर्ज करते हुए बकाया साक्ष्य के लिए दिनांक 07–8–2004 व 13–8–2004 नियत की गई। प्रकरण में दिनांक 20–8–2004 को प्रतिवादी साक्ष्य बन्द कर साक्ष्य वादी खण्डन हेतु आगामी पेशियां दिनांक 23–8–2004, 27–8–2004, 03–9–2004 एवं 06–9–2004 रखी गई। दिनांक 06–9–2004 को धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुति पर जवाब व बहस समायत कर विचारण दिनांक 25–9–2004 को किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से यह स्पष्ट है कि उभयपक्ष में लंबित वाद में साक्ष्य वादी व प्रतिवादी दर्ज होने के उपरान्त प्रकरण तत्समय साक्ष्य वादी खण्डन की स्टेज पर था, ना कि अंतिम बहस की स्टेज पर था। अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट अंकन किया है कि वादी पक्ष को खण्डन की साक्ष्य में अप्रार्थी/ प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को खण्डन करने की आवश्यकता बताई है व उक्त दस्तावेज लोक–दस्तावेज है, अतः उन्हें रिकार्ड पर लिए जाने से कोई **Prejudice Cause** नहीं होगा व न्याय के सही निर्णय में इससे मदद मिलेगी। अतः 300/– रूपये कॉस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। 9– चूंकि वकील प्रतिवादीगण ने कॉस्ट स्वीकार नहीं की और प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के तथ्य को निगरानी के जरिये चुनौती देने की पेशकश की। अतः न्यायालय ने यह अभिमत दर्ज किया कि ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अप्रार्थी को दस्तावेज पेश करने की अनुमति दिये जाने का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स निगरानी/टीए/12780/2004/जयपुर गणेश बनाम कालू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	औचित्य शेष नहीं रहता। अतः प्रकरण दिनांक 01–10–2004 को वास्ते साक्ष्य खण्डन वादी (प्रार्थना पत्र निस्तारण से पूर्व की स्टेज) नियत किया गया। 10– उपरोक्त आदेशिका एवं चुनौतीधीन आदेश दिनांक 25–9–2004 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासन अधिकारी द्वारा दस्तावेज के राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रति (संदेह से परे) होने एवं वादी की साक्ष्य खण्डन की स्टेज के आधार पर रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश विधि विरूद्ध नहीं कहा जा सकता। पीठासीन अधिकारी ने विलम्ब के लिए 300/– रूपये की कॉस्ट लगाने के निर्देश दिये हैं। अतः इस न्यायालय के अभिमत में उभयपक्ष से सम्बद्ध विवाद में पक्षकार की अन्य राजस्व भूमि के दस्तावेजात् की प्रमाणित प्रतिलिपि को पीठासीन अधिकारी की अनुमति से रिकार्ड पर लिये जाने से किसी विधिक अहित या प्रावधान की अनदेखी होती है – यह कहना अनुचित है। प्रकरण वादी की खंडन साक्ष्य हेतु नियत था। प्रतिवादीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी के कॉस्ट पर प्रार्थनापत्र स्वीकारण के समर्थन में न होने से उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी किए जाने की पेशकश पर पीठासीन अधिकारी का खंडन साक्ष्य के अवसर न दिए जाने की टिप्पणी का दायित्व प्रतिवादीगण का ही माना जाएगा। वर्ष 1993 से लंबित प्रकरण, जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा यथासंभव छोटी अवधि पर पेशियां नियत की गई हों, कॉस्ट पर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रति के आधार पर स्वीकार कर प्रतिवादी पक्ष को खंडन में पुनः दस्तावेजी साक्ष्य के अवसर की पेशकश की गई हो – उसमें यह न्यायालय किसी दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं देखती। वर्ष 2004 के अंतरिम आदेशिका से धारा 151 प्रार्थनापत्र के कॉस्ट पर स्वीकार करने पर किसी अहम विधिक व सारभूत तथ्य की अनदेखी का अंदेशा न होने पर प्रतिपक्ष द्वारा सहयोग किए जाने से विवाद में संस्थित निगरानी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स निगरानी / टीए / 12780 / 2004 / जयपुर गणेश बनाम कालू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निस्तारण में लगे 18 वर्ष की समयावधि से हुए विलंब से पक्षकारान के मध्य अपेक्षित न्याय में हुई देरी को रोका जा सकता था। 11– उपरोक्त विवेचन अनुसार निगरानी के सारहीन पाये जाने पर निगरानी को खारिज किया जाता है। प्रकरण में उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख वास्ते खंडन साक्ष्य वादी पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 08–03–2022 को उपस्थिति हेतु निर्देशित किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मंजू राजपाल) सदस्य	